बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

~~ज्ञापांक-चक/विधि-12/पटना/34-5/2002-186/चक, दिनांक 13-3-2004~~

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय ने सी०डब्ल्यू०जे०सी०संख्या-9026/2000 में निम्नांकित आदेश पारित किया :-

'Consequent upon the submissions of the secretary to the Government on an affidavit the notification dated 27.7.1998 as contained in Annexure-1 on the statement of the Government itself is quashed.'

इस आदेश के विरुद्ध में राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी०संख्या-9326/2003 दाखिल किया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 8-7-2003 को निम्नांकित आदेश के साथ खारिज कर दिया :-

'We see no reason to interfere.
The Special Leave potition is dismis sed.'

अत: माननीय उच्च न्यायालय के सी०डब्ल्यू०जे०सी०संख्या-9026/2000 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के एस०एल०पी०संख्या-9326/2003 में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 1956) की धारा 4(क) के अंतर्गत पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को विलोपित किया जाता है :-

1) अधिसूचना संख्या - 1166 दिनांक 2-11-93
2) अधिसूचना संख्या - 253 दिनांक 1-8-94
3) अधिसूचना संख्या - 545 दिनांक 27-7-98
4) अधिसूचना संख्या - 546 दिनांक 27-7-98
5) अधिसूचना संख्या - 547 दिनांक 27-7-98
6) अधिसूचना संख्या - 548 दिनांक 27-7-98
7) अधिसूचना संख्या - 549 दिनांक 27-7-98
8) अधिसूचना संख्या - 550 दिनांक 27-7-98
9) अधिसूचना संख्या - 551 दिनांक 27-7-98
10) अधिसूचना संख्या - 552 दिनांक 27-7-98

क्र०पृ०उ०

Scanned with OKEN Scanner

11§ अधिसूचना संख्या - 553 दिनांक 27-7-98

12§ अधिसूचना संख्या - 554 दिनांक 27-7-98

13§ अधिसूचना संख्या - 555 दिनांक 27-7-98

14§ अधिसूचना संख्या - 556 दिनांक 27-7-98

15§ अधिसूचना संख्या - 557 दिनांक 27-7-98

16§ अधिसूचना संख्या - 558 दिनांक 27-7-98

17§ अधिसूचना संख्या - 559 दिनांक 27-7-98

18§ अधिसूचना संख्या - 560 दिनांक 27-7-98

बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 4§क§ के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को विलोपित करने पश्चात सभी संबंधित ग्राम अब इस अधिनियम की धारा 3 से अच्छादित हो जाते हैं।अर्थात इन सभी ग्रामों में पुनः बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 अपने आप लागू हो जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार,
पटना ।

अधिसूचना संख्या-186/चक0 पटना,दिनांक - 15-3-2004

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के खण्ड §3§ के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार,पटना ।

अधिसूचना संख्या-186/चक0, पटना,दिनांक 15-3-2004

प्रतिलिपि- अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,गुलजारबाग,पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां चकबंदी निदेशालय,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,भूमि विकास बैंक भवन, चौथी मंजिल,बुद्धमार्ग,पटना को कृपया उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार,पटना

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक 190 /चक0, पटना, दिनांक 15 मार्च, 2004

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

15.3.2004

निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 190 /चक0, पटना, दिनांक 15 मार्च, 2004

प्रतिलिपि- माननीया मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/विधि सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

15.3.2004

निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 190 /चक0, पटना, दिनांक 15 मार्च, 2004

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी/सभी उप निदेशक, चकबंदी/सहायक निदेशक, भागलपुर/एवं सभी चकबंदी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.3.2004

निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना ।

Scanned with OKEN Scanner